न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 810 दर्ज तिथिः— 22.12.2025

1. राणाराम पुत्र चूनाराम
2. सवाईराम पुत्र चूनाराम
3. गुसाईराम पुत्र चूनाराम
4. भुवनेश चौधरी पुत्र चूनाराम
5. अमरूदेवी पत्नी चूनाराम
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील नोखड़ा।

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. रामाराम पुत्र जालाराम
2. गोसाईराम पुत्र जालाराम
3. अणसी पत्नी जालाराम
4. अणदूदेवी पत्नी हीरारा‍म
5. खेमी पुत्री देराजराम
6. चूकीदेवी पत्नी मानाराम
7. मिरगोदेवी पत्नी मानाराम
8. सोनीदेवी पत्नी वालाराम
9. किशनाराम पुत्र कलाराम
10. केसाराम पुत्र लाखाराम
11. वनूदेवी पत्नी कलाराम
12. गोरधनराम पुत्र मूलाराम
13. दम्मीदेवी पत्नी बाबुलाल
14. दमाराम पुत्र मुलाराम
15. नेनाराम पुत्र कलाराम
16. पेमाराम पुत्र कलाराम
17. भंवरराम पुत्र मुलाराम
18. भारमलराम पुत्र मुलाराम
19. रामाराम पुत्र दमाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट निवासी आडेल तहसील नोखड़ा
20. सताराम पुत्र भगवानाराम
21. अणसीदेवी पत्नी चुतराराम
22. प्रहलादराम पुत्र मोटाराम
23. भोमाराम पुत्र मोटाराम
24. सुरताराम पुत्र मोटाराम
25. विरधाराम पुत्र खेताराम
26. गुलाराम पुत्र खेराजराम
27. घमण्डाराम पुत्र पूनमाराम
28. ईसराराम पुत्र वनाराम
29. जसाराम पुत्र मंगलाराम
30. भोमाराम पुत्र ठाकराराम
31. रमेश कुमार पुत्र ठाकराराम
32. लालीदेवी पत्नी ठाकराराम
33. सुरतीदेवी पत्नी मंगलाराम
34. सोनाराम पुत्र मंगलाराम
जाति जाट निवासी सारणों का तला, आदर्श आडेल तहसील नोखड़ा
35. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुड़ामालानी

...........असल अप्रार्थीगण

36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

................तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री नरपत कुमार
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 12.02.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 260/2. 0144 है0, 260/2/0.0324 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 371/2/3.8023 है0 मौजा सारणों का तला पटवार मण्डल आडेल तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेश दिनांक 27.11.2025 की पालना में दिनांक 07.12.2025 को पटवारी हल्का आडेल द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 260 / 2.0144 है0, 260 / 2 / 0.0324 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 371 / 2 / 3.8023 है0 मौजा सारणों का तला पटवार मण्डल आडेल तहसील नोखड़ा की पत्थरगढ़ी दिनांक 07.12.2025 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 07.12.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.*—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076–79 वाकै ग्राम आडेल व सारणों का तला में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम आडेल व सारणों का तला के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 07.12.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 260／2.0144 है0, 260／2／0.0324 है0 मौजा आडेल, खसरा संख्या 371／2／3. 8023 है0 मौजा सारणों का तला पटवार मण्डल आडेल तहसील नोखड़ा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों／हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested

के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.21 14:06:15 IST
Reason: SelfAttested